

11.2.19

अपीलान्ट के द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र दिनांक 11.2.19 प्रस्तुत कर स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन करने पर स्थगन पत्रावली पेश हुई। उपस्थित अधिवक्ता को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी को न कोई नोटिस दिया गया न ही सुनवाई का अवसर दिया गया तथा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है। अतः अपीलाधीन आदेश की पालना प्रभाव को स्थगित किया जावे।



हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया जिससे पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार "रास्ते संबंधी समस्याओं का निराकरण अभियान 2016" के तहत प्रचलित/चालू/सनातन/कदीमी एवं स्थाई रास्तों के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती करने के क्रम में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती की स्वीकृति प्रदान की गयी है। किसी प्रकार का नया रास्ता निजी खातेदारों की भूमि से नहीं निकाला गया है। उसी क्रम में तहसीलदार पंचपदरा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में स्थगन प्रार्थना को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इससे प्रचलित रास्ता बन्द होने का अंदेशा है। अतः प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य होने से निरस्त किया जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर, निर्णित होकर मूल पत्रावली के संलग्न हो।

11/2/19
(ललित कुमार गुप्ता)
डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर